



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015



क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लॉस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email: rd-delhi@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No. 111-ए-33/16/2/MACP/ACP/PHARM./2021 प्रशा.2

दिनांक:- 10-02-2025

ADDENDUM

सक्षम प्राधिकारी ने इस कार्यालय आदेश संख्या- 52 & 181 वर्ष 2024 प्रशा- 2 दिनांकित 12.02.2024 & 02.09.2024 में निम्नलिखित पारा जोड़ने का अनुमोदन किया है:-

“एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है और उनकी वरिष्ठता की स्थिति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत अधिक वेतन मिला है। एमएसीपी के तहत अनुमत वित्तीय हितलाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई नियतन हितलाभ नहीं मिलेगा अर्थात उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पद हेतु तैनाती।

उपर्युक्त पदाधिकारी इस आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (1) (ए) (i) के तहत गणना के रूप में वेतन नियतन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

हालांकि, एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, डीओपीटी, का.जापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 और का.सं. 35034/3/2015-स्था. (डी), दिनांक 27/28-09-2016 के साथ-साथ मामले में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण/अनुदेश के तहत गणना किए गए निवधन और शर्तों के अधीन होगा।

नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिकांगे में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबंधित प्रविष्टियों की जाए और वेतन नियतन के सबध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए।”

उक्त कार्यालय आदेश की शेष नियम और शर्तें लागू होंगी।

RAJSHEKHAR SINGH

DEPUTY DIRECTOR

प्रतिलिपि

1. संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी द्वारा Website पर उपलब्ध आदेश की प्रतिलिपि द्वारा।
2. संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल (स्था.-2), निदेशक (चि) दिल्ली।
3. निदेशक, निदेशालय (चि) दिल्ली।
4. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.नि औषधालय मंगोलपुरी, मायापुरी II, रोहिणी सेक-5, कालकाजी।
5. चिकित्सक अधीशक, क.रा.बी.नि. हॉस्पिटल फरीदाबाद, मानेसर।
6. ओ.एस.डी. आई.टी सेल(चि),/आईसीटी दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने के आग्रह के साथ।
7. गार्ड फ़ाइल।